



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु नागरिक अधिकार पत्र



जन आधार

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण  
योजना भवन जयपुर।

क्र. सं.	सेवा का नाम	वांछित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा के लिए किससे संपर्क करें	सेवा की प्राप्ति के लिए सांकेतिक समय सीमा	परिवाद/शिकायत के लिए प्राधिकरण/अधिकारी हेतु संपर्क
1.	जन आधार में परिवार का नामांकन	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु आधार e-KYC अनिवार्य</li> <li>5 वर्ष तक के सदस्यों हेतु फोटो व जन्म प्रमाण पत्र</li> <li>परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति अनिवार्य</li> <li>परिवार के पते एवं पहचान के दस्तावेज की प्रति</li> <li>अन्य दस्तावेज (नामांकन प्रपत्र के अनुसार)</li> </ul>	<p>निःशुल्क</p> <p>(ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा जन आधार वेबसाइट <a href="https://janaadhaar.rajasthan.gov.in">https://janaadhaar.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Jan Aadhaar Enrollment सुविधा के माध्यम से)</p>	ई-मित्र, जन आधार वेबसाइट	अधिकतम 27 दिन	<p>1. राज्य स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्थान जन आधार प्राधिकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त निदेशक (JD), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>एसीपी (ACP), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>जन आधार हेल्प डेस्क नंबर : 0141-2850287, 0141-2923377</li> <li>टोल-फ्री नंबर : 181</li> </ul> </li> </ul> <p>2. जिला स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त निदेशक (JD)/उप निदेशक(DD), सांख्यिकी</li> <li>सिस्टम एनालिस्ट (SA), IT&amp;C</li> <li>जिला स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> <p>3. ब्लॉक स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (BSO)</li> <li>प्रोग्रामर</li> <li>ब्लॉक स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> <p>4. ऑनलाइन परिवाद/शिकायत</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्थान सम्पर्क</li> </ul>

क्र. सं.	सेवा का नाम	वांछित दस्तावेज़	सेवा के लिए शुल्क	सेवा के लिए किससे संपर्क करें	सेवा की प्राप्ति के लिए सांकेतिक समय सीमा	परिवाद/शिकायत के लिए प्राधिकरण/अधिकारी हेतु संपर्क
2.	जन आधार में आधार e-KYC	आधार संख्या	निःशुल्क (ईमित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा SSO ID के माध्यम से)	ईमित्र, SSO पोर्टल	तुरंत e-KYC सफल होने पर	<p>1. राज्य स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>संयुक्त निदेशक (JD), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>एसीपी (ACP), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>जन आधार हेल्प डेस्क नंबर : 0141-2850287, 0141-2923377</li> <li>टोल-फ्री नंबर : 181</li> </ul> <p>2. जिला स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त निदेशक (JD)/उप निदेशक(DD), सांख्यिकी</li> <li>सिस्टम एनालिस्ट (SA), IT&amp;C</li> <li>जिला स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> <p>3. ब्लॉक स्तर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (BSO)</li> <li>प्रोग्रामर</li> <li>ब्लॉक स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> <p>4. ऑनलाइन परिवाद/शिकायत</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्थान सम्पर्क</li> </ul>

क्र. सं.	सेवा का नाम	वांछित दस्तावेज़	सेवा के लिए शुल्क	सेवा के लिए किससे संपर्क करें	सेवा की प्राप्ति के लिए सांकेतिक समय सीमा	परिवाद/शिकायत के लिए प्राधिकरण/अधिकारी हेतु संपर्क
3.	जन आधार में संशोधन / अद्यतन हेतु आवेदन	आवश्यकता अनुसार	ई-मित्र के माध्यम से- निर्धारित दर अनुसार  या  स्वयं द्वारा SSO ID के माध्यम से- निःशुल्क	ईमित्र, SSO पोर्टल	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परिवार के मुखिया/ सदस्य को निरस्त (Delete) करना,</li> <li>2. परिवार का मुखिया बदलना ,</li> <li>3. परिवार के मुखिया/ सदस्य को स्थानांतरित (Transfer) करना,</li> <li>4. परिवार विभाजन (Split),</li> <li>5. बैंक खाता विवरण,</li> <li>6. परिवार का पता,</li> <li>7. सदस्य जोड़ना,</li> <li>8. परिवार की आय</li> </ol> के अतिरिक्त शेष विषयो हेतु संशोधन/ अद्यतन के लिए अधिकतम 27 दिन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राज्य स्तर               <ul style="list-style-type: none"> <li>• राजस्थान जन आधार प्राधिकरण                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• संयुक्त निदेशक (JD), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>• एसीपी (ACP), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण</li> <li>• जन आधार हेल्प डेस्क नंबर : 0141-2850287, 0141-2923377</li> <li>• टोल-फ्री नंबर : 181</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. जिला स्तर               <ul style="list-style-type: none"> <li>• संयुक्त निदेशक (JD)/उप निदेशक(DD), सांख्यिकी</li> <li>• सिस्टम एनालिस्ट (SA), IT&amp;C</li> <li>• जिला स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> </li> <li>3. ब्लॉक स्तर               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (BSO)</li> <li>• प्रोग्रामर</li> <li>• ब्लॉक स्तरीय हेल्प लाइन नंबर</li> </ul> </li> <li>4. ऑनलाइन परिवाद/शिकायत               <ul style="list-style-type: none"> <li>• राजस्थान सम्पर्क</li> </ul> </li> </ol>

क्र. सं.	सेवा का नाम	वांछित दस्तावेज	सेवा के लिए शुल्क	सेवा के लिए किससे संपर्क करें	सेवा की प्राप्ति के लिए सांकेतिक समय सीमा (आवेदन से)	परिवाद/शिकायत के लिए प्राधिकरण/अधिकारी हेतु संपर्क
4.	जन आधार नामांकन / जन आधार में संशोधन या अद्यतन का सत्यापन					
	प्रथम स्तर सत्यापन	----	निःशुल्क	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में - ग्राम विकास अधिकारी (VDO)</li> <li>शहरी क्षेत्रों में- अधिशाषी अधिकारी (EO)/ आयुक्त/ उपायुक्त</li> </ul>	अधिकतम 10 दिन	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में - ग्राम विकास अधिकारी (VDO)</li> <li>शहरी क्षेत्रों में- अधिशाषी अधिकारी (EO)/ आयुक्त/ उपायुक्त</li> </ul>
	द्वितीय स्तर सत्यापन	----	निःशुल्क	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में - ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)</li> <li>शहरी क्षेत्रों में- उपखण्ड अधिकारी (SDO)</li> </ul>	अधिकतम 20 दिन	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में - ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)</li> <li>शहरी क्षेत्रों में- उपखण्ड अधिकारी (SDO)</li> </ul>
	अनुलिपिकरण	----	निःशुल्क	जन आधार प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रोसेस	अधिकतम 27 दिन	<ul style="list-style-type: none"> <li>जन आधार हेल्प डेस्क नंबर: 0141-2850287, 0141-2923377</li> <li>टोल-फ्री नंबर: 181</li> </ul>